संख्या–1330/ix-1/2016/83/2016

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 25 नवम्बर, 2016

विषय–जनपद नैनीताल के रामनगर एवं जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत नामक स्थान पर उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय का गठन हेतु पदों का सृजन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक् के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल एवं अल्मोड़ा में वाहनों की वृद्धि के दृष्टिगत प्रवर्तन कार्यों को अधिक प्रभावशाली रूप से सम्पादित किये जाने एवं जनसामान्य की सुविधा के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरात जनपद नैनीताल के रामनगर एवं जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत नामक स्थान पर उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय के गठन हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार पदों के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	पदनाम/वेतनमान	प्रति कार्यालय पद	कुल पद
01	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) 15,600–39,100 GP 5,400	01	02
02	परिवहन कर अधिकारी–श्रेणी–1 9,300–34,800 GP 4,600	01	02
03	सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) 9,300–34,800 GP 4,200	01	02
04	सहायक लेखाकार 5,200–20,200 GP 2,800	01	02
05	वरिष्ठ सहायक 5,200–20,200 GP 2,800	01	02
06	कनिष्ठ सहायक 5,200–20,200 GP 2,000	01	02
07	प्रवर्तन पर्यवेक्षक 5,200–20,200 GP 2,400	01	02
08	प्रवर्तन सिपाही 5,200–20,200 GP 2,000	03	06
09	अनुसेवक	01	02

CAO/अधिष्ठान

01/12/16

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड

Smt Swati
01/12/2016.

	आउटसोर्सिंग		
10	चालक आउटसोर्सिंग	01	02
योग		12	24

2. **उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय रामनगर** का कार्यक्षेत्र/अधिकार क्षेत्र; रामनगर तहसील और विकारा खण्ड, अल्मोड़ा की सल्ट और भिक्यासैण तहसीलें, पौड़ी की धुमाकोट तहसील, नैनीताल का बेतालघाट विकास खण्ड एवं **उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय रानीखेत** का कार्यक्षेत्र/अधिकार क्षेत्र जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत , द्वाराहाट एवं चौखुटिया होगें।

3. उक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित अस्थाई पदों का सृजन दिनॉक 28 फरवरी, 2017 तक स्वीकृत है।

4. संबंधित पदधारकों को समय–समय पर स्वीकृत भत्ते नियमानुसार अनुमन्य होगें।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्यय में अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक–3050–सड़क परिवहन–00–आयोजनेत्तर–001 –निदेशक तथा प्रशासन–03–परिवहन संबंधी अधिष्ठान–00–के अर्न्तगत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जाएगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय पर संख्या 701/XVII/वित्त अनुभाग–2/2016 दिनॉक 25 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

25/11/16

(सी0एस0 नपलच्याल)

सचिव।

संख्या–1334(1)/ix-1/2016/08(13)/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
3– जिलाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
4– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
6– कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहारादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)

उप सचिव।